The Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010

Act 20 of 2010

Keyword(s):
Affiliated Institution, Certificate, Invigilator, Suprintendent of Centre

Amendment appended: 6 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम सं०–262

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 अगस्त, 2010

भाद्रपद 3, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1111/79-वि-1–10-1(क)23-2010

लखनऊ, 25 अगस्त, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पर दिनांक 23 अगस्त, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

(क) कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने;

(ख) परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ देने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके;

(ग) उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने;

(घ) अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण उसमें कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने; की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एवं गठन करने;

और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–विषय या संदर्भ से किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम में,–

(क) "सम्बद्ध संस्था" का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम या किन्हीं पाठ्यक्रमों के संबंध में परिषद से सम्बद्ध किसी संस्था से है;

(ख) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है।

(ग) "उपविधि" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनायी गयी उपविधियों से है;

(घ) "केन्द्र" का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें लेने के प्रयोजनार्थ नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध भू–गृहादि भी है;

(ङ) "प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य परिषद द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये प्रमाण-पत्र से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित किये जाये;

(च) "सभापति" का तात्पर्य परिषद के सभापति से है;

(छ) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद के निदेशक से है;

(ज) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अन्तरीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के संबंध में इसके अन्तर्गत परियोजना प्रेक्षक भी है;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उपसभापति भी हैं;

(ञ) "विनिमय" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गये परिषद के सचिव से है;

(ठ) "केन्द्र-अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक भी है;

(ड) "उपसभापति" का तात्पर्य धारा 4 के खण्ड 2 (दो) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए गये परिषद् के उपसभापति से है।

परिषद् की स्थापना

3–राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद की स्थापना करेगी, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कहलायेगी।

परिषद् का गठन

4–परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यावसायिक शिक्षा विभाग	–	पदेन सभापति
(दो) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात उद्योगपति	–	उप सभापति
(तीन) निदेशक		सदस्य
(चार) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे उसी विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, जो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न हो।	–	पदेन सदस्य

(पांच) राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे उसी विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न हो; – पदेन सदस्य

(छः) निदेशक, प्रशिक्षण एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश – पदेन सदस्य

(सात) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश – पदेन सदस्य

(आठ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश – पदेन सदस्य

(नौ) निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश – पदेन सदस्य

(दस) क्षेत्रीय निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार; – पदेन सदस्य

(ग्यारह) केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता; – पदेन सदस्य

(बारह) गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और बालिकाओं की शिक्षा पर कार्य किए हों, जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होगा, एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा और एक व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे;

(तेरह) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योगों के चार प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी; – सदस्य

(चौदह) राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रधानाचार्य, जिनमें से एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की महिला प्रधानाचार्य होगी; – सदस्य

(पन्द्रह) राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रधानाचार्य, जिनमें से एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से होगी; – सदस्य

(सोलह) उत्तर प्रदेश के ऐसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं, के दो प्रधानाचार्य, जो सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे; – सदस्य

(सत्रह) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यचर्या विकास में तीन विषय विशेषज्ञ; – सदस्य

(अट्ठारह) औद्योगिक संगठनों यथा भारतीय उद्योग संघ, भारतीय उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल परिसंघ या वाणिज्य मण्डल के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रतिनिधि; – सदस्य सचिव

(उन्नीस) सचिव, उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्। – सदस्य

सदस्यों की पदावधि

5–परिषद के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

सदस्यों का हटाया जाना

6–राज्य सरकार किसी ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्य को सदस्यता से हटा सकती है जिसने उसकी राय में अपनी स्थिति का ऐसा दुरूपयोग किया है कि उसका परिषद् में बना रहना लोकहित के लिए हानिकर होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को इस धारा के अधीन हटाने से पहले उसको स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

परिषद की बैठकें

7–(1) सदस्यों को बैठक के संबंध में कम से कम 15 दिन की सूचना के साथ परिषद वर्ष में अनिवार्य रूप से एक बार बैठक करेगा तथापि आत्ययिकता की स्थिति में परिषद अभिलिखित कारणों के साथ सात दिन की सूचना पर बैठक कर सकता है।

(2) सभापति तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्ति आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियां अवैध न होंगी

8–परिषद या उसके द्वारा नियुक्त समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां परिषद् या समिति में किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि होने के कारण हो या प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता होने के कारण हो जिससे मामले के गुण दोष पर प्रभाव न पड़े, अवैध न समझी जायेगी।

परिषद् का कार्यालय

9–परिषद् का कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होगा।

परिषद् का सचिव

10–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में परिषद की सहायता करने के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करके परिषद का एक सचिव नियुक्त करेगी।

(2) सचिव पूर्णकालिक सरकारी सेवक होगा।

परिषद् का निदेशक

11–राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करके व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश का निदेशक नियुक्त करेगी।

परिषद के कृत्य और कर्तव्य

12–इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे:–

(एक) यथास्थिति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं और उनकी मोड्यूलर इम्प्लांएबुल स्किल के लिए पाठ्यक्रम और अन्य सुसंगत सामग्री तैयार करना;

(दो) परिषद से संबद्ध संस्थाओं में सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षायें सचालित करना;

(तीन) परिणाम घोषित करना और उत्तीर्ण होने वाले तथा सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करना;

(चार) भवनों, अवसंरचना और परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा अनुसरण किये जाने वाले पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के संबंध में शैक्षणिक अपेक्षाओं के लिए मानक निर्धारित करना और ऐसे विहित मानकों को पूरा करने के आधार पर संबद्धता प्रदान करना;

(पांच) संबद्ध संस्थाओं द्वारा शैक्षिक मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(छः) अध्यापन और प्रशिक्षण का मानक बनाये रखने के लिए संबद्ध संस्थाओं में अध्यापन और प्राविधिक कर्मचारिवर्ग के लिए शैक्षिक अर्हतायें निर्धरित करना;

(सात) संबद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश की रीति निर्धारित करना;

(आठ) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के समन्वय से माध्यमिक/हाईस्कूल के व्यावसायिक विषयों की परीक्षा संचालित करना;

(नौ) व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण और अल्पावधि कौशल विकास कार्यक्रम प्राप्त कर रहे छात्रों का मूल्यांकन करना;

(दस) अपेक्षानुसार व्यापारिक संगठनों की सहायता से ऐसे विशिष्ट व्यापार क्षेत्र दक्षता मंत्रणा सभाओं का गठन करना, जो पाठ्यक्रम के विकास या उसके उन्नयन में परिषद् और उसकी समितियों की सहायता करेंगे, कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में मानक निर्धारित करना और साथ ही साथ अपेक्षित कार्यों और विनिर्दिष्ट व्यापारों के सर्वेक्षण का दायित्व ग्रहण करना;

(ग्यारह) समस्त संबद्ध संस्थानों के लिए प्रतियोगिता प्रणाली और पारदर्शी प्रवेश परीक्षा आयोजित करना तथा सन्निविष्ट करना;

(बारह) परिषद् के कर्तव्यों के निष्पादन एवं निर्वहन के लिए प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर कर्मचारिवर्ग को नियोजित करना;

(तेरह) परिषद् द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रमाणित उन समस्त बातों का आधारभूत आंकड़े अनुरक्षित रखना;

(चौदह) अन्य राज्यों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों और औद्योगिक/व्यापारिक निकायों के साथ इस रीति से और ऐसे प्रयोजनों से सहयोग करना जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक हो;

(पन्द्रह) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र के समन्वित विकास तथा उसमें नीतिगत परिवर्तनों के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(सोलह) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के समुचित संपादन के लिए ऐसे समस्त कार्य और बातें करना, जो आवश्यक हों।

परिषद् की शक्तियाँ

13–(1) परिषद् के पास इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन ऐसी समस्त शक्तियाँ होंगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,–

(एक) प्रवेश परीक्षा सहित किसी परीक्षा को रद्द करना या किसी अभ्यर्थी के किसी परीक्षा का परिणाम रोकना या उसे किसी भावी परीक्षा में सम्मिलित होने से अननुज्ञात करना यदि वह निम्नलिखित का दोषी होना पाया जाय–

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या

(ख) संस्था या परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र में कोई अशुद्ध विवरण देना, या सारभूत सूचना या तथ्य को दबाना; या

(ग) परीक्षा में कपट या प्रतिरूपण करना; या

(घ) ऐसे नियमों का उल्लंघन करके किसी परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करना, जिन नियमों के द्वारा ऐसी परीक्षा में प्रवेश किया जाता हो; या

(ङ) परीक्षा के दौरान घोर अनुशासनहीनता का कोई कार्य करना।

(दो) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना उसके द्वारा किसी परीक्षा के दौरान किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाये;

(तीन) किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षाफल रद्द करना जिसे वह खण्ड (1) के उपखण्डों (क) से (ङ) तक में दिए गए कार्यों में सभी या किसी का दोषी पाये या ऐसा परीक्षाफल रद्द करना जिसकी घोषणा में परिषद् द्वारा कोई सद्भावनापूर्ण भूल हो गयी हो:

परन्तु यह कि परिषद् की सद्भावनापूर्ण भूल के कारण कोई परीक्षाफल उसकी घोषणा के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत हो जाने पर रद्द न किया जायेगा;

(चार) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(पांच) किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध करने से इन्कार करना,–

(क) जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है या उन तक नहीं पहुंचती है; या

(ख) जो परिषद् द्वारा तदर्थ निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(छः) ऐसी संस्था की सम्बद्धता वापस लेना जो कर्मचारिवर्ग/शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती अथवा जो परिषद् के संतोषानुसार सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सकें।

पाठ्यक्रम

14–(1) परिषद् सम्बद्ध संस्थाओं में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर अनुमोदन करेगी।

(2) परिषद् सभी सम्बद्ध संस्थाओं में पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करेगी।

(3) परिषद् पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर अप्रचलित, व्यर्थ एवं अनावश्यक पाठ्यक्रमों को हटा देगी और ऐसे पाठ्यक्रमों को उपान्तरित करेगी जिन्हें तकनीकी परिवर्तन या बाजार की आवश्यकता के प्रकाश में उपान्तरित करने की आवश्यकता है।

(4) इस धारा में उल्लिखित सभी मामलों में परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

राज्य सरकार के अधिकार

15–(1) राज्य सरकार परिषद् द्वारा किये गये या उसके द्वारा संचालित किसी काम के विषय में या परिषद् से संबंध रखने वाले किसी मामले में, अपने विचार परिषद् को संसूचित कर सकती है और तदुपरान्त परिषद् राज्य सरकार को उस कार्यवाही की सूचना देगी जो उनके संबंध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो।

(2) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे या की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही की उसे सूचना न दे तो राज्य सरकार परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे। परिषद् उक्त निर्देशों का पालन उसमें उल्लिखित समय के भीतर करेगी और यदि वह उनका पालन न करे तो राज्य सरकार ऐसी समस्त कार्यवाही कर सकती है जो वह उक्त निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

सभापति के अधिकार और कर्तव्य

16–(1) सभापति को परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने का अधिकार होगा और वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) सभापति को धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन संघटित समितियों के निर्णयों पर परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश देने का अधिकार होगा जो परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हों, तथा जिन्हें वह उचित समझे सभापति इस प्रकार दिए गए प्रत्येक आदेश की सूचना परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा।

(3) सभापति, ऐसी आपातिक दशा में जिसमें उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में कार्यवाही कर सकता है और इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। तदुपरान्त सभापति तुरन्त परिषद् को उसकी अगली बैठक में इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) सभापति परिषद् की प्रवेश परीक्षा समिति की अध्यक्षता करेगा।

उपसभापति के अधिकार और कर्तव्य

17–उपसभापति सभापति ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित अथवा सभापति द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

निदेशक के अधिकार

18–(1) निदेशक परिषद् के सभापति के मार्गदर्शन में आदेश द्वारा स्वयं को प्रतिनिहित कार्यों को निष्पादित करेगा।

(2) निदेशक सम्बद्धता समिति की अध्यक्षता करेगा, जिसकी संस्तुति पर परिषद् अन्तिम विनिश्चय करेगी।

(3) निदेशक, उद्योग एवं व्यापार संगठनों और परिषद् के मध्य जनसंपर्क स्थापित करेगा।

(4) निदेशक, परिषद् कार्यालय के अधिष्ठान का प्रधान होगा।

सचिव के अधिकार और कर्तव्य

19–सचिव, परिषद् का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए उसके निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जायें और विशेष रूप से वह–

(क) लेखा प्राक्कलन तथा आय-व्ययक के वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परिषद् को आवंटित समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की जायें जिनके लिए वे आवंटित की गयी हों :–

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

समितियों तथा उपसमितियों का गठन

20–(1) परिषद् एक पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या समिति और एक परीक्षा समिति, एक मान्यता एवं सम्बद्धता समिति और एक प्रवेश परीक्षा समिति और ऐसी अन्य समितियों का गठन करेगी जो नियमों या विनियमों द्वारा विहित की जांय।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति में उतने सदस्य होंगे जिन्हें परिषद् विशेषज्ञता और ज्ञान के क्षेत्र के आधार पर उसमें नियुक्त करे। समिति का कार्यकाल और उसके सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) परिषद् की कोई समिति उतने व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिए सहयोजित कर सकती है जो वह उचित समझे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहयोजित सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(4) समिति का सदस्य या उसके द्वारा सहयोजित व्यक्ति सभापति को लिखित रूप से सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन त्याग-पत्र देने के कारण या किसी अन्य कारण समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, उपधारा (2) या (3) में व्यवस्थित रीति से पुनः नियुक्ति या सहयोजन द्वारा की जायेगी।

(6) परिषद् समिति के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन किन्हीं ऐसी उपसमितियों का गठन कर सकती है जो ऐसी अवधि के लिए आवश्यक हो और वह उन्हें ऐसे मामलों में उचित समझे जहाँ समिति के समक्ष तथ्य व्यापक हों और उन्हें उल्लिखित किया जाना हो।

परिषद् द्वारा उक्त समितियों को प्रत्यायोजन और निर्देश

21-(1) परिषद् आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति को इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपर्युक्त समिति को निर्दिष्ट कर सकती है और जब कभी इस प्रकार का निर्देश किया जाय तो परिषद् उस पर निर्णय लेने के पूर्व, समिति की संस्तुतियों तथा सुझावों पर विचार करेगी।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधि प्रमाणीकरण

22-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के समस्त निर्णय उसके द्वारा यथाविधि पारित संकल्प द्वारा किये जायेंगे, और सभापति के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधि प्रमाणित किये जायेंगे।

(2) परिषद् की ओर से निष्पादित समस्त लिखत, परिषद् के सचिव के या परिषद् द्वारा एवं तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधि-प्रमाणित किये जायेंगे।

नियम बनने का अधिकार

23-राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा और गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने का अधिकार

24-(1) परिषद्, इस अधिनिमय के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये इसके उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकती है और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेज सकती है। राज्य सरकार विनियमों का अनुमोदन या उनमें परिष्कार या परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे, किन्तु यदि कोई दिनांक निर्दिष्ट किया जाय तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक से, प्रभावी होंगे।

(2) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :-

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों तथा उप-समितियों की नियुक्ति गठन शक्ति और कर्तव्य;

(ख) प्रमाण-पत्र प्रदान करने की रीति और शर्तें;

(ग) संस्थाओं को सम्बद्ध करने की शर्तें;

(घ) प्रमाण-पत्रों के लिये विहित किये जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे और प्रमाण-पत्र पाने के पात्र होंगे;

(च) परिषद् की परीक्षाओं तथा प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये शुल्क और उनकी वसूली की रीति;

(छ) प्रवेश परीक्षा सहित परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न–पत्र निरीक्षकों, परितुलकों, संनिरीक्षकों, सारणीयकों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षंकों तथा अभीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार तथा कर्तव्य तथा उनके पारिश्रामिक की दरें;

(झ) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिये आवश्यक इमारतों, जिनके अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध भूमि भी है, सज्जा तथा उपकरण के मानदण्ड;

(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं, एवं सदस्य संख्या;

(ट) परिषद् द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा परिणाम सहित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना;

(ठ) सम्बद्ध संस्था में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं;

(ड) सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का प्रवेश;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना कि विहित पाठ्य–क्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(ण) वे परिस्थितियां जिनमें किसी अभ्यर्थी को किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन के पाठ्यक्रम की परिषद् की परीक्षा या प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी जाय;

(त) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा जिसके अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा भी है, के परिणाम को रोकना या रद्द करना तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा को किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रद्द करना;

(थ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन किसी संस्था की सम्बद्धता वापस ली जाये या उसे सम्बद्ध करने से इनकार किया जाये;

(द) केन्द्र का निरीक्षण करना;

(ध) पाठ्यक्रम विकास व परीक्षा के लिए यथा आवश्यकता व्यवसाय संघों के साथ खण्ड विशेष काउंसिल का निर्माण;

(न) प्रवेश परीक्षा के संचालन के लिये प्रक्रिया का निर्धारण;

(प) प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी मानक निर्धारित करना;

(फ) समय अवधि के साथ पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यक्रम के पुनर्विलोकन का निर्धारण करना;

(ब) संस्थान–व्यवसाय संघ संबंध का संवर्द्धन;

(भ) कोई अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन आवश्यक हों।

उपविधियाँ बनाने का अधिकार

25–(1) परिषद् इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये उपविधियां बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गण–पूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद्, समिति या उपसमिति के सदस्यों को उसकी बैठक के दिनांक तथा उस बैठक में विचारणीय बातों की सूचना देना और उक्त बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो अथवा विहित किया जा सके।

कठिनाइयों दूर करने का अधिकार

26–इस अधिनियम से किसी अन्य बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान में किसी ऐसे विषय का आदेश द्वारा विनियमन कर सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन नियम अथवा विनियम द्वारा विनियमित होना है।

उद्देश्य और कारण

कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवम् प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने, परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ देने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके, उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवम् प्रशिक्षण के अवसर देने और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्याधिक दबाव के कारण उसमें कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना और गठन करने के लिए एक विधि बनायी जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के०के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1111/LXXIX-V-1–10–1-(Ka)23-2010

Dated Lucknow, August 25, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyavasayik Shiksha Evam Prashikshan Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 23, 2010 :–

THE UTTAR PRADESH VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ACT, 2010

(U.P. Act no. 20 of 2010)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment and constitution of a 'Board of Vocational Education and Training in Uttar Pradesh' with a view to, -

(a) producing the skilled workers and making them employable by providing vocational education and training;

(b) giving opportunities to school dropouts from traditional education stream by providing them vocational education and training so as to enable them for suitable employment;

(c) giving vocational education and training opportunities for highly qualified but unemployed fellows in order to minimise their large numbers;

(d) giving option to those who are unemployed in order to impact on uncontrolled population growth, excessive pressure on agricultural land leading to decreasing employment opportunities therein,

and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the sixty-first Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, –

(a) " affiliated institution" means an institution affiliated to the Board in respect of any course or courses of study in accordance with the provisions of this Act or the regulations made thereunder;

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, –

(b) " affiliated institution" means an institution affiliated to the Board in respect of any course or courses of study in accordance with the provisions of this Act or the regulations made thereunder;

(c) "Board" means the Board of Vocational Education and Training, Uttar Pradesh, Lucknow established under section 3;

(d) " bye-laws" means the bye-laws made under section 24;

(e) "Centre" means the institution or the place fixed by the Board for the purpose of holding its examinations and includes the premises attached or appurtenant thereto;

(f) "certificate" means the certificate awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such courses of study as may from time to time be prescribed by regulations;

(g) "Chairperson" means the chairperson of the Board ;

(h) "Director" means the Director of the Board appointed by the State Government under section 11;

(i) "invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising an examination at the Centre and includes a project observer in relation to a project examination;

(j) "Member" means a member of the Board and includes the Chairperson and the Vice-Chairperson thereof;

(k) "regulations" means regulations made under section 24;

(l) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed by the State Government under section 10;

(m) "Superintendent of Centre" means the person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent;

(n) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Board, nominated by the State Government under clause 2(ii) of section 4.

Establishment of the Board

3. There shall be established by the State Government by notification in the *Gazette* a Board to be called Vocational Education and Training Board, Uttar Pradesh, Lucknow.

Constitution of the Board

4. (1) The Board shall consist of the following members:-

(i) The Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Vocational Education department	*–Chairperson ex-officio*
(ii) One eminent industrialist to be nominated by the State Government	–Vice Chairperson
(iii) The Director	*– Member*
(iv) One representative of the department of industries of the state Government to be nominated by the Principal Secretary of that department not below the rank of Special Secretary	*–Member ex-officio*

(v) One representative of the department of Finance of the State Government to be nominated by the Principal Secretary of that department not below the rank of Special Secretary *–Member ex-officio*

(vi) The Director of Training and Employment, Uttar Pradesh *–Member ex-officio.*

(vii) The Director of Technical Education, Uttar Pradesh *–Member ex-officio*

(viii) The Director of Secondary Education, Uttar Pradesh *–Member ex-officio*

(ix) The Director of Industries, Uttar Pradesh *–Member ex-officio*

(x) The Regional Director of Employment and Training Government of India *–Member ex-officio*

(xi) One representative of Central Staff Training and Research Institute, Calcutta *–Member ex-officio*

(xii) Three representatives from Non-Governmental Organizations Institutions who have worked on education of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward classes and girls of which one person shall be belonging to Scheduled Castes, one person belonging to Scheduled Tribes and one person shall belong to other backward classes to be nominated by the State Government;

(xiii) Four representatives of Industries nominated by the State Government of which one shall be a woman *–Member*

(xiv) Four Principals from amongst Industrial Training Institutes in the State to be nominated by the State Government among which one shall be a woman Principal of a Girls's ITI *–Member*

(xv) Four Principals from amongst Industrial Training Centres in the State; to be nominated by the State Government, of which one shall be from a Girls's Industrial Training Centre *–Member*

(xvi) Two Principals from such Higher Secondary Education Institutes of Uttar Pradesh who are running Vocational courses, to be nominated by Chairperson *–Member*

(xvii) Three subject experts in curriculum development to be nominated by the State Government *–Member*

(xviii) Four representatives from Industrial organizations such as Indian Industries Association, Confederation of Indian Industries, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry or Chamber of Commerce to be nominated by the State Government *–Members*

(xix) The Secretary of Vocational Education and Training Board, Uttar Pradesh *–Member*

Term of the office of the Members

5. Term of a member of the Board other than *ex-officio* members shall be two years.

Removal of members

6. The State Government may remove from the membership a nominated member who in its opinion has so abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest:

Provided that the State Government shall, before removing a member under this section , give him an opportunity of explanation and record the reasons for his removal.

Meeting of the Board

7. (1) The Board shall meet mandatorily once in a year, with at least fifteen days notice of meeting to be given to members. However in urgency the Board may meet with seven days notice, with reasons to be recorded.

(2) The Chairperson and in his absence, the Vice-chairperson shall preside over the meetings of the Board.

(3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members present and voting and, in case of equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.

Vacancies etc not to invalidate acts and proceedings

8. No act or proceedings of the Board or of a Committee appointed by it, shall be deemed to be invalid by reason merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board or the committee, or because of any irregularity in procedure if not affecting the merits of the case.

Office of the Board

9. The Office of the Board shall be located at Lucknow in Uttar Pradesh.

Secretary of the Board

10. (1) The State Government shall appoint a Secretary to the Board by transferring an officer of the Vocational Education Department of Uttar Pradesh to assist the Board in carrying out the purposes of this Act.

(2) The Secretary shall be a whole time Government servant.

Director of the Board

11. (1) The State Government shall appoint a Director of the Board of the Vocational Education and Training, Uttar Pradesh by transferring an officer of the Vocational Education department, Uttar Pradesh not below the rank of Special Secretary to the State Government.

Functions and duties of Board

12. Subject to the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder the functions and duties of the Board shall be-

(i) to set and prepare curriculum and other relevant material for the institutions providing Vocational Education Training including Secondary and Higher Secondary Institutions, industrial Training Institutes, Industrial Training Centers, and there Modular Employable skills as the case may be;

(ii) to conduct semester and annual examinations in institutions affiliated to the Board;

(iii) to declare results and award certificates to pass outs and successful trainees;

(iv) to lay down standards for buildings, infrastructure and academic requirements in respect of course curriculum to be pursued by the institutions affiliated to the Board and to grant affiliation based on meeting of such prescribed standards.

(v) to ensure maintenance of such educational standards by affiliated institutions;

(vi) to lay down educational qualifications for teaching and technical staff in affiliated institutions in order to maintain standard of teaching and training;

(vii) to lay down the manner of admission of students to affiliated institutions;

(viii) to conduct examinations in vocational education subjects in Secondary/High Schools in conjunction with the Uttar Pradesh Board of Secondary Education;

(ix) to conduct assessment of students undertaking vocational educational training and short term skill development programmes;

(x) to constitute trade specific sector skill councils with the assistance of trade organizations as per requirement who will assist the Board and its committees in curriculum development or its upgradation, conduct assessment of standards in skill development/Vocatonal training and education as well as to undertake required works and surevey of specific trades;

(xi) to organize and put in place a system of competition and transparent Entrance Examinations for all affiliated institutions;

(xii) to employ staff on deputation or contract- for functioning and discharging the duties of the Board;

(xiii) to maintain a data base of all those certified by the Board in the public domain;

(xiv) to co-operate with other states and national authorities and industrial/trade bodies in such manner and for such purposes as may be necessary for giving effect to the provisions of this Act ;

(xv) to advise the state Government on co-ordinated development of the vocational education and training sector and policy changes therein;

(xvi) to do all such acts and things as may be necessary for the proper performance of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Powers of the Board

13. (1) The Board shall subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, have all such powers as may be necessary for the performance of its functions and the discharge of its duties under this Act, or the rules or regulation made thereunder.

2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers the Board shall have the powers,-

(i) to cancel an examination including entrance examination, or withhold the result of an examination of a candidate, or disallow him from appearing at any future examination who is found by it to be guilty of-

(a) using unfair means in the examination; or

(b) making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the institution or to the examination; or

(c) fraud or impersonation at the examination; or

(d) securing admission to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination; or

(e) any act of gross indiscipline in the course of the examination;

(ii) to deduct marks at any examination of any candidate found by it to be guilty of any act of indiscipline in the course of the examination;

(iii) to cancel the result of an examination of any candidate found by it to be guilty of all or any of the acts mentioned in sub-clauses (a) to (e) of clause (i) or for any bonafide error of the Board in the declaration of the result:

Provided that the result of an examination shall not be cancelled on the ground of a bonafide error of the Board, after the expiry of 90 days from the date of announcement of the result of the examination;

(iv) to prescribe fees for the examinations conducted by it and provide for the manner of their realization;

(v) to refuse affiliation of an institution,–

(a) which does not fulfil, or is not in a position to fulfil or does not come up to, the standards staff, instruction, equipment, or buildings, laid down by the Board in this behalf; or

(b) which does not or is not willing to abide by the conditions of affiliation laid down by the Board in this behalf;

(vi) to withdraw affiliation of an institution not able to adhere to make provision for, standards of staff, instruction equipment, or buildings laid down by the Board, or on its failure to observe the conditions of affiliation, to the satisfaction of the Board;

(vii) to inspect an affiliated institution for the purpose of ensuring due observance of the prescribed courses of study and that facilities for instructions are duly provided and availed of ;

(viii) to fix the maximum number of students that may be admitted to courses of study in an affiliated institution.

Curriculum

14. (1) The Board shall approve the curriculum courses to be run in its affiliated institutions on the recommendation of the curriculum committee.

(2) The Board shall implement the curriculum to all the affiliated institutions.

(3) The Board shall withdraw obsolete, redundant and needless courses and modify such curriculum as need to be required in the light of technological changes or market requirements on the recommendations of the curriculum committee.

(4) The decision of the Board in all matters mentioned in this section shall be final.

Powers of the State Government

15. (1) The State Government may communicate to the Board its views on any work done or conducted by the Board or in respect of any matter with which the Board is concerned and the Board shall thereupon report to the State Government the action taken or proposed to be taken by it in regard thereto.

(2) If the Board fails to take action within a reasonable time to the satisfaction of the State Government or fails to communicate the action taken or proposed to be taken, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder as it may think fit. The Board shall comply with the said directions within the time specified therein and if it fails to do so, the State Government may take all such steps as it may deem necessary to give effect to such directions.

Powers and duties of the Chairperson

16. (1) The Chairperson shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, have the power to do all acts required for implementing the decisions of the Board and shall exercise such other powers and discharge such other duties as may be prescribed by rules.

(2) The Chairperson shall subject to the superintendence, control and directions of the Board, have power to take such orders on the decisions of the Committees constituted under sub-section (1) of section 20, as may be within the jurisdiction of the Board and as he may deem fit. The Chairman shall inform the Board of every such order at its next meeting.

(3) The Chairperson may in an emergency, which in his opinion, requires immediate action to be taken, deal with any matter within the competence of the Board and subject to the provisions of this Act, the rules and the regulations made thereunder, by order in writing take such action as he may deem necessary. The Chairperson shall thereupon inform the Board at its next meeting, of the action so taken.

(4) The Chairperson shall head the Entrance Examination Committee of the Board.

Powers and duties of the Vice-Chairperson

17. The Vice-Chairperson shall exercise such powers and discharge such duties of the Chairperson as may be prescribed by rules or delegated to him by the Chairperson.

Powers of the Director

18. (1) The Director shall work under the guidance of the Chairperson of the Board as per tasks delegated to him by order.

(2) The Director shall head the committee of affiliation on whose recommendations the Board will take the final decision.

(3) The Director shall liason between industry and trade organizations and the Board.

(4) The Director shall be the Head of the Establishment of the Board office.

Powers and duties of the Secretary

19. The Secretary shall be the Chief Executive officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by rules and in particular :

(a) be responsible for the preparation of the estimates of accounts, annual assessments of income and expenditure;

(b) be responsible for ensuring that all moneys allotted to the Board are spent for the purposes for which they are allotted;

(c) be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

Constitution of Committees and Sub-Committees

20. (1) The Board shall constitute a Committee of Courses/Curriculum and Examination Committee, Recognition an Affiliation Committee, an Entrance Examination Committee and any other such Committees as may be prescribed by rules or regulations.

(2) A Committee constituted under sub-section (1) shall consist of such members as the Board may in each case appoint based on the area of expertise and knowledge. The term of a Committee and the number of its members shall be such as may be prescribed by regulations.

(3) A Committee of the Board may co-opt such persons and for such period as it thinks fit, provided that the number of persons co-opted shall not exceed one-third of the total number of members of the Committee.

(4) A member of a Committee, or a person co-opted by it, may resign his office in writing addressed to the Chairperson.

(5) A casual vacancy in a Committee caused by resignation under sub-section (4), or arising from any other cause, shall be filled by fresh appointment or co-option in the manner provided in sub-section (2) or (3) as the case may be.

(6) The Board in consultation with the Committee may constitute under this Act any sub-committees as may be necessary for such period and it may think fit in matters where the facts before a Committee are wide and has to be mentioned.

Delegation and reference to Committees by the Board

21. (1) The Board may by order delegate to any Committee appointed under this Act, such of its powers and duties under this Act as it may deem necessary.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board may refer any question arising in the course of the exercise of its powers or performance of its duties and functions under this Act to the appropriate Committee and where a reference is so made, the Board shall, before taking a decision thereon, consider the recommendations and suggestions of the Committee.

Authentication of orders and other instruments of the Board

22. (1) All decisions of the Board shall be subject to the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder, be arrived at by resolution, duly passed by it, and shall be authenticated by the signature of the Chairperson or such other member as may be authorized by the Board in this behalf.

(2) All instruments executed on behalf of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary or such other officer of the Board as may be authorized by it in this behalf.

Powers to make rules

23. (1) The State Government may, by notification and after previous publication in the *Gazette*, make rules to carry out the purpose of this Act.

Power to make regulations

24. (1) The Board may, for carrying out purposes of this Act, make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules framed thereunder and submit the same for approval of the State Government. The State Government may approve, modify or vary the regulations. The regulations, as approved by the State Government, shall be published in the *Gazette* and shall take effect from the date of publication thereof but where a date has been specified from the date so specified.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the regulations may provide for-

(a) the appointment, constitution, powers and duties of the committees and sub-committees constituted under this Act;

(b) the manner and Conditions of conferment of certificates;

(c) The conditions for affiliations of institution;

(d) The courses of study to be prescribed for certificate;

(e) The conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for certificates;

(f) The fees for admission to the examination of the Board and entrance examination and the manner of their realisation;

(g) The conduct of examinations including entrance examination;

(h) The appointment of examiners, moderators, collators, scrutinizers, tabulators, centre inspectors, superintendent of centres and invigilators and prescribing of their duties and powers in relation to the Board's Examinations, including entrance examination and the rates of their remuneration;

(i) Standards for buildings including land appurtenant thereto, the equipment and apparatus necessary for institutions seeking affiliation;

(j) Educational qualifications, and strength of teaching and non-teaching staff of affiliated institutions;

(k) Publication of results of examinations conducted by the Board including entrance examination result;

(l) The minimum educational and other qualifications for admission of students to an affiliated institution;

(m) Admission of students to affiliated institutions through entrance examination;

(n) The inspection of affiliated institution with a view to ensure due observance of the prescribed courses of study and that facilities for instructions are duly provided and availed of;

(o) The conditions under which a candidate may be disallowed admission to the examination of the Board of courses of study in an affiliated institution or in entrance examination;

(p) Withholding or cancelling results of an examination conducted by the Board including entrance examination result and cancelling an examination conducted by it in respect of any candidate;

(q) The circumstances under which affiliation of an institution may be withdrawn or refused;

(r) Inspection of a centre;

(s) The formation of sector specific council with trade organization for curriculum development, examination, as and when necessary:

(t) Setting of procedure for conducting entrance examination;

(u) Setting of norms of educational qualification for candidates appearing in the entrance examination;

(v) Setting of curriculum development with time duration and review of courses;

(w) Promoting institutes trade organization relationship;

(x) Any other matter which under this Act is necessary.

Power to make bye- laws

25. (1) The Board may make bye-laws for giving effect to the provision of this Act and the rules and the regulations made thereunder.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such bye-laws may provide for-

(a) The procedure to be observed at meetings of the Board and the number of members required to form a quorum;

(b) The giving of notice to members of the Board, a Committee or a sub-committee of the date of a meeting and of the business to be considered thereat and for the keeping of the record of proceedings of such meetings;

(c) Any other matter which, under this Act or the rules or regulations made thereunder, is to be or may be prescribed by bye-laws.

Power to remove difficulties

26. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the State Government with a view to removing any difficulty in giving effect to the provisions of this Act, may by order regulate any matter which is to be regulated by a rule or regulation under this Act.

. . .

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to producing the skilled workers and making them employable by providing vocational education and training, giving opportunities to school dropouts from traditional education stream by providing them vocational education and training so as to enable them for suitable employment, giving vocational education and training opportunities for highly qualified but unemployed fellows in order to minimize their large numbers and giving option to those who are unemployed in order to impact on uncontrolled population growth, excessive pressure on agricultural land leading to decreasing employment opportunities therein and for matters connected therewith or incidental thereto, it has been decided to make a law for the establishment and constitution of a Board of vocational education and training in the State of Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh vocational education and training Bill ,2010 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 404 राजपत्र (हि०)–2010–(921)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 36 सा० विधा०–2010–(922)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

क्रम–संख्या–67

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 335/79-वि-1–14-1(क)-8-2014

लखनऊ, 4 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 4 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1–यह विधेयक उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने, परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके, उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण उसमें कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना एवं गठन करने के लिये उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010) अधिनियमित किया गया था। चूँकि उक्त अधिनियम में प्राविधानित परिषद् के कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन यथार्थरूप से सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, अतः उक्त अधिनियम के अधीन व्यावसायिक परीक्षा परिषद् की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

आज्ञा से,
एस0 बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 335(2)/LXXIX-V-1–14-1(Ka)-8-2014

Dated Lucknow, March 4, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyavasayik Shiksha Evam Prashikshan (Nirsan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 4, 2014:–

THE UTTAR PRADESH VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (REPEAL) ACT, 2014

(U.P. ACT NO. 6 OF 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

o repeal the Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Vocational Education and Training (Repeal) Act, 2014.

Repeal of U.P. Act no. 20 of 2010

2. The Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010 (U.P. Act no. 20 of 2010) was enacted to provide for the establishment and constitution of a Board of Vocational Education and Training in Uttar Pradesh with a view to producing the skilled workers and making them employable by providing Vocational Education and Training, giving opportunities to school dropouts from traditional education stream by providing them Vocational Education and Training so as to enable them for suitable employment, giving Vocational Education and Training opportunities for highly qualified but unemployed fellows in order to minimise their large numbers, giving option to those who are unemployed in order to impact on uncontrolled population growth, excessive pressure on agricultural land leading to decreasing employment opportunities therein. Since the duties and functions of the Board provided under the said Act are now being substantively performed and discharged successfully by the Uttar Pradesh Skill Development Misson and also by Vyavasayik Pariksha Parishad, U.P., there is no need to establish the Board under the said Act. It has been, therefore, decided to repeal the said Act.

By order,
S.B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 813 राजपत्र (हि0)–2014–(1830)–599 (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 141 सा० विधायी–2014–(1831)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)